लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1147
उत्तर देने की तारीख : 08.02.2022

शराबबंदी

1147. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शराबबंदी लागू करने के लिए कोई कदम उठाया है या कोई कदम उठाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1985-86 से मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (ड्रग) के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा था जिसका उद्देश्य जागरूकता का निर्माण करना तथा मद्यपान और नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के कुप्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना तथा मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के व्यसनियों के समग्र व्यक्तित्व सुधार (डब्ल्यूपीआर) हेतु पहचान, प्रेरणा, परामर्श, नशामुक्ति तथा उत्तरवर्ती देखभाल एवं पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध कराना है।

तथापि, एक व्यापक स्कीम, जिसके अंतर्गत सभी ड्रग की मांग में कटौती कार्यों की संकल्पना की जा सके तथा उन्हें क्रियान्वित किया जा सके, बनाने के लिए अब मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (ड्रग) के दुरुपयोग की रोकथाम को एनएपीडीडीआर में मिला दिया गया है। एनएपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत, देश में ड्रग की मांग में कटौती करने के लिए सभी पहल कार्यों को भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, पीआरआई, एनजीओ, निकायों, यूएलबी, स्वायत्त संगठनों, तकनीकी मंचों, अस्पतालों, जेल प्रशासनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान तथा ड्रग दुरुपयोग के निवारण हेतु एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446, 24x7 का भी संचालन कर रहा है। टोल-फ्री हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य ड्रग के व्यसनियों को टेली काउंसलिंग उपलब्ध कराना तथा उनको निकटतम नशामुक्ति केन्द्रों जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, में भेजना है।

*****